

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/ साप्र/ सी/ जि स्तरीयभासा/ 2773/ 2019/

दिनांक : 08/05/2019

01. समस्त संयुक्त निदेशक, संभाग कार्यालय, स्कूल शिक्षा
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कार्यालय

विषय:—जिला स्तरीय भासाशाह सम्मान समारोह 2019 के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग:—राज्य सरकार का पत्रांक प.17(11) शिक्षा—6/2010/पार्ट दिनांक 13.03.18 के कम में।

राजकीय विद्यालयों/राजकीय शिक्षण संस्थाओं प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा/कालेज शिक्षा के अधीन राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भासाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग किए जाने पर शिक्षा विभाग, शासन से प्राप्त दिशा—निर्देशों की पालना में दानदाताओं/भासाशाहों/औद्योगिक संस्थानों का विभाग द्वारा 28 जून, 2019 को जिला स्तर पर सम्मानित करने हेतु भासाशाह सम्मान समारोह जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जायेगा।

जिला स्तरीय भासाशाह सम्मान समारोह 2019 के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 13.03.2018 से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं :—

01. जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सम्मान समारोह हेतु सम्पूर्ण कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा नोडल अधिकारी होंगे।
02. जिला स्तरीय भासाशाह सम्मान समारोह में राजकीय विद्यालयों में दानदाता/ भासाशाह/ औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करने वाले ऐसे दानदाताओं को जिन्होने दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक इस हेतु 1 लाख रुपये से 15 लाख रुपये से कम का योगदान किया है, को “शिक्षा श्री” सम्मान से सम्मानित किया जाना है तथा राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भासाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति जिन्होने 5 लाख एवं इससे अधिक तथा 30 लाख से कम राशि के आर्थिक सहयोग हेतु भासाशाहों को प्रेरित किया है, को जिला स्तरीय भासाशाह सम्मान समारोह में “शाला प्रेरक” की उपाधि से सम्मानित किया जावेगा। वर्ष 2018 में जिला स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह में 01.01.17 से 31.12.17 तक सहयोग करने वाले दानदाताओं को 26 जनवरी, 2018 को सम्मानित किया चुका है, अतः नवीन निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय सम्मान समारोह हेतु ऐसे दानदाताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा जिन्होने 01.01.2018 से 31.03.2018 तक योगदान किया है।
03. मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र दिनांक 13.03.2018 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

04. ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(7)शिक्षा—/2014 दिनांक 11.01.17 के द्वारा राजकीय विधालयों के विकास हेतु Corporate Socioal Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने हेतु ज्ञान पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है (नए दिशा निर्देश) इस योजनान्तर्गत भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विधालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए योगदान करने एवं निर्धारित पात्रता पूरी करने पर भी भामाशाह सम्मान समारोह हेतु पात्र होंगे। परन्तु उक्त पत्र दिनांक 11.01.17 के अनुसार प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्या दान कोष के माध्यम से सहयोग, प्रकरण में दानदाताओं के भामाशाह पुरस्कार हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्यालय/माध्यमिक शिक्षा समेकित कर जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्यालय/प्राशि. को भिजवायें।
05. 1 लाख एवं इससे अधिक तथा 15 लाख से कम की धनराशि का निर्धारित अवधि में राजकीय विधालयों/संस्थानों में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं के प्रस्तावों को ही सम्मिलित किये जाने हैं। यदि दानदाता ने सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है या केवल भूमि दान में दी है तो उनके द्वारा निर्मित भवन/भूमि का विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अनुशासित कर नहीं भिजवाये जावें।
06. यदि किसी दानदाता ने भवन/भूमि दान में दी है तो दान में दिए गए भवन/भूमि के दानपत्र की प्रति के साथ उक्त भवन/भूमि की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमानित लागत विवरण की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।
07. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साजो—सामान के रूप में सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संबंधित विधालय/संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साजो—सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत् इन्द्राज कर लिया गया है।
08. यदि किसी दानदाता ने भवन निर्माण, अतिरिक्त निर्माण/चारदीवारी/मरम्मत/ के रूप में सहयोग दिया है तो उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित विवरण सक्षम अधिकारी (विभाग में कार्यरत कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता) के अनुमानित लागत विवरण पत्र/सहयोग राशि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में विवरण संलग्न करें। इसी प्रकार विधार्थियों की छात्रवृति/पुस्तकालय हेतु सहयोग राशि के संबंध में भी निर्धारित प्रपत्र में विवरण संलग्न करें।
09. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उनको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय मूल दानदाता के ही भेजे जावे। इनका सम्मान उनके उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे जिसके लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें अधिकृत कर उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावें एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
10. यदि दानदाता कोई ट्रस्ट, संस्था या कंपनी है तो इन्हें दिए जाने वाला प्रशस्ति पत्र ट्रस्ट, संस्था या कंपनी के नाम से ही दिया जाएगा।
11. जन सहभागी विधालय मरम्मत योजना के अन्तर्गत 1 लाख से 15 लाख तक राशि का विधालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होंगे।
12. भामाशाहों के प्रस्तावों के साथ संबंधित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

Om

13. समस्त जिलों में जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) नोडल अधिकारी होंगे।
14. प्राशासनिक सुधार (अनु.-3)विभाग के आदेश क्रमांक प.6(18)प्र.सु./अनु.3/2016 दि.30.03.16 द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्कूल सलाहकार समिति (परिशिष्ट-3) कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।
15. जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जनप्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावें।
16. पाच लॉख एवं अधिक तथा तीस लाख रुपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को शाला प्रेरक के रूप में जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।
17. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) को उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में संबंधित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाये जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर किये जाने तथा सही पाये जाने पर सम्बंधित को शाला प्रेरक हेतु सम्मानित किये जाने हेतु निर्धारित आवेदन—पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा को मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन मय अभिशंषा भेजेंगे। प्रेरक के आवेदन पर उसी स्थिति में विचार किया जायेगा जब दानदाता द्वारा भामाशाह सम्मान हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रेरक के नाम का उल्लेख होगा। एक से अधिक प्रेरक होने की स्थिति में दानदाता द्वारा जिस प्रेरक को सम्मानित किया जाना है, उसकी स्पष्ट अनुशंषा करने पर चयन हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे प्रेरक जिनके भामाशाह राज्य स्तर पर चयन के पात्र हैं, तथा प्रेरक जिला रत्तर पर सम्मान के पात्र हैं, के संबंध में उनके भामाशाह राज्य स्तर पर सम्मान हेतु पात्र पाये जाने पर ही सम्मानित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
18. जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा को भिजवायेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षण कर चयन हेतु जिला स्कूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजेंगे।
19. राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहो/औद्योगिक संस्थानों द्वारा किये गये प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 13.03.18 के साथ संलग्न परिशिष्ट-2 पुनः संलग्न किया जा रहा है। अतः परिशिष्ट-2 के अनुसार भामाशाहो के प्रोत्साहन हेतु किये जाने वाले कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक स्वयं के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही करें एवं संस्था प्रधानों को भी इस संबंध में निर्देश जारी करें।
20. जिन जिलों में यह कार्यक्रम होगा, उन जिलों में सम्मानित होने वाले दानदाताओं की संख्या के आधार पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा अपने स्तर पर उपलब्ध बजट प्रावधान/संसाधन से इस समारोह का आयोजन करेंगे, एवं जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। संभाग मुख्यालय पर स्थित जिलों में आयोजित होने वाले समारोह में संयुक्त निदेशक भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे।
21. यदि कोई दानदाता जिसने निर्धारित मानदंड के अनुसार सहयोग किया है एवं सम्मान से वंचित रहता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को होगा।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा जो जिला स्तर पर आयोजित होने सम्मान समारोह के नोडल अधिकारी भी है, पात्र भामाशाह एवं प्रेरकों के चयन की कार्यवाही दिनांक 15.06.2019 से पूर्व करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं चयनित भामाशाह एवं प्रेरकों की सूची निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.06.2019 तक सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को उपलब्ध करवायेंगे।

23. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समरोह वर्ष 2019 हेतु कॉलेज शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के प्रस्ताव के संबंध में कॉलेज शिक्षा के जिला स्तरीय प्रस्ताव हेतु जिले के राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा संस्कृत शिक्षा के प्रस्ताव हेतु सम्भागीय स्तर के अधिकारी को शासन द्वारा अधिकृत किया गया है।

24. जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाहो के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्रः—

(मोहर अशोक चिन्ह)

सत्यमेव जयन्ते

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

—::प्रशस्ति पत्रः—

श्री

..... को उनके द्वारा(विद्यालय का नाम) के लिए
प्रदत्त सहयोग के लिये अभिनन्दन स्वरूप “ शिक्षा श्री ” की उपाधि से विमूषित किया जाता है।

ह.

जि.शि.मुख्यालय,प्रा.शि.

दिनांक ,जून,2019

मुख्य जिला शिक्षाअधिकारी,स्कूल शिक्षा

ह.

25. जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरक के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्रः—

(मोहर अशोक चिन्ह)

सत्यमेव जयन्ते

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

—::प्रशस्ति पत्रः—

श्री

..... को उनके द्वारा(विद्यालय का नाम) के भामाशाह
.....(भामाशाह का नाम)..... द्वारा किये गये सहयोग हेतु प्रेरित करने पर “
शाला प्रेरक ” सम्मान से सम्मानित किया जाता है।

ह.

जि.शि.मुख्यालय,प्रा.शि.

दिनांक ,जून,2019

मुख्य जिला शिक्षाअधिकारी,स्कूल शिक्षा

ह.

Om

26. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाहों एवं प्रेरकों की सूचना निम्नांकित प्रारूप में 26, जून, 2019 तक निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को संकलित कर भिजवायेगे:-

जिला स्तरीय भामाशाह योजना के तहत 28, जून, 2019 को सम्मान हेतु चयनित दानदाताओं/प्रेरकों की सूची-

क्र.सं.	राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले दानदाताओं को नाम व पूर्ण पता	विद्यालय का नाम जिसके लिये सहयोग किया गया	सहयोग की अवधि 1.01.18 से 31.3.19	सहयोग की राशि	प्रदत्त सहयोग का विवरण	प्रेरक का नाम
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न:- भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:-

- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान—सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- आयुक्त, कालेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- उप शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
- सिस्टम एनेलिस्ट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- प्रभारी, विभागीय वेबसाईट, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान बीकानेर